राजस्थान सरकार

वित्त (विधि प्रको0) विभाग

क्रमांकः– प.1(183)वित्त/विप्र/16 जयपुर, दिनांक 8 NOV 2016

परिपत्र

विषय– मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 21.10.16 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में न्यायिक प्रकरणों में Defect दूर किये जाने एवं Per-empetory आदेशों की पालना के सम्बन्ध में।

एस0बी0एस0टी0आर सं0 401/99 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स रामनगर केन एवं शुगर कम्पनी लि0 के प्रकरण में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दायर रिवीजन याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अनेक अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी पीएफ एवं नोटिस प्रस्तुत नहीं करने एवं निर्धारित सुनवाई तिथि पर राज्य की ओर से किसी भी अधिवक्ता/प्रभारी अधिकारी के उपस्थित नहीं होने को गम्भीरता से लिया है तथा इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिये हैं।

न्यायालय प्रकरणों के प्रभावी कार्य सम्पादन एवं प्रबोधन हेतु वित्त विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 29.07.11 एवं 19.10.15 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे तथा अब पुनः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

1. **न्यायालय में विभागीय/राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति**– कुछ प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से मा0 न्यायालय में अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लिया गया है। इस संदर्भ में विभागाध्यक्ष स्तर से सभी नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिये जावें कि वे न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की पत्रावलियां वर्तमान में पैरवी कर रहे अधिवक्ता के पास नवीनतम तारीख पेशी व तथ्यात्मक सूचना सहित उपलब्ध करवायें और यदि पूर्व में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता किन्हीं कारणों से वर्तमान में कार्यरत नहीं रह गये हों तो प्रकरण की पत्रावली वर्तमान नवनियुक्त/कार्यरत अधिवक्ता को उपलब्ध करवायी जावे। सभी न्यायालय प्रकरणों में सुनवाई तिथि पर राजकीय अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
2. **न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियों का समय–समय पर अद्यतन किया जावे**–न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियां विभाग/राजकीय अधिवक्ता/प्रभारी अधिकारी के पास भी अपूर्ण होती हैं और न्यायालय कार्यवाही की नवीनतम स्थिति अभिलेख पर नहीं पायी जाती है जबकि समय के अन्तराल में प्रकरण में प्रगति होती रहती है जिससे राजकीय अधिवक्ता को समय–समय पर अवगत नहीं करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में अनायास ही न्यायालय में

प्रकरण सुनवाई हेतु लग जाने पर विषम स्थिति का सामना करना पड़ता है और अनावश्यक रूप से विभाग के विरूद्ध विपरीत निर्णय पारित हो जाते हैं।

इस संदर्भ में विभागाध्यक्ष के स्तर से विधि प्रकोष्ठ, अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी की पत्रावलियों का पुनर्विलोकन/समीक्षा करके प्रत्येक पत्रावली पर नवीनतम अद्यतन स्थिति सहित परिपूर्ण तौर पर संघारित की जावे। इस संदर्भ में **एक बार अभियान के तौर पर उक्त स्थिति को सत्यापित कर लिया जावे** और बाद में इसे सतत प्रकिया के तौर पर नियमित रूप से अपनाया जावे।

3. **Defect remove किया जावे** – विभिन्न प्रकरणों में राज्य द्वारा जो अपील/रिट/रिवीजन आदि दायर की जाती हैं उनमें त्रुटियां छोड़ दी जाती हैं, जिनको न्यायालय द्वारा अनेक अवसर उपलब्ध करवाने के उपरान्त भी दूर नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को खारिज कर दिया जाता है और इसके उपरान्त दायर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी सारहीन होने के कारण खारिज हो जाते हैं। इससे राजकीय हित गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। अतः अभियान के तौर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जो प्रकरण न्यायालय में Defect में हैं उनके संदर्भ में तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता को निर्देशित किया जावे।

4. **Per-empetory आदेशों की पालना में पीएफ एवं नोटिस प्रस्तुति सुनिश्चित की जावे**– मा0 न्यायालय द्वारा अनेक अवसर उपलब्ध करवाने के बावजूद भी विभाग द्वारा पीएफ एवं नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय द्वारा प्रकरण खारिज कर दिये जाते हैं जो एक गम्भीर स्थिति है। अतः ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर अभियान के तौर पर Per-empetory आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
इस संदर्भ में सम्बन्धित प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि वे अधिवक्तागण से सम्पर्क कर मा0 न्यायालय के निर्देशों के अनुसार Per-empetory आदेशों की पालना में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सात दिवस की अवधि में सुनिश्चित की जावे। किसी भी प्रकरण में अनावश्यक एवं अनुचित विलम्ब होता है तो सम्बन्धित उत्तरदायी राजसेवक को चिन्हित करके उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव,
वित्त (राजस्व) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राज0, जयपुर/ आयुक्त, आबकारी विभाग, राज0, उदयपुर।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर ।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग/ कोष एवं लेखा विभाग/पेंशन विभाग/निरीक्षण विभाग/स्था0 निधि एवं अंकेक्षण विभाग/अति0 निदेशक, सामान्य बीमा विभाग, जयपुर ।
4. महाप्रबन्धक, गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर/महाप्रबन्धक, आरबीसीएल जयपुर ।
5. सदस्य सचिव, आरपीएमएफ, जयपुर।
6. वित्त विभाग के सभी अधिकारीगण एवं अनुभाग।
7. अति0 निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।

संयुक्त विधि परामर्शी